



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

11AA 872798

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप-26

(नियम 4क देखिए)

24/04/2022  
19 रायपुर

निर्वाचन क्षेत्र से

विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

में अशोक काकि पुत्र/पुत्री/पत्नी शिवनन्दन शर्मा

आयु 58 वर्ष, जो 272 अशोक विहार, अजयपुर कला, देहरादून

का/की निर्वाचनी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी ललित भागले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें रस्टाक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (i) मासूला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला या जिले लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसमें अभियुक्त को अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं



*(Handwritten signature)*

- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे लागू नहीं
- (vi) क्या तभी या कोई कार्यवाही किसी सूक्ष्म अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है / है लागू नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से गिन्ने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

- (यदि)
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं लागू नहीं
  - (ii) न्यायालय जिसमें दंडित किया है लागू नहीं
  - (iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
  - (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे लागू नहीं
  - (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे लागू नहीं
  - (vi) क्या दंडादेश सूक्ष्म अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं लागू नहीं

स्थान: देहरादून  
 तारीख: 10/1/2012

[Signature]  
 अभियंता के हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं, उपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस सपथपत्र में अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

पट्टाडून स्थान पर आज तारीख 10/1/12 को सत्यापित किया।  
[Signature]  
 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



This Affidavit is sworn before me  
 Shri Dr. A. Singh  
 who is identified by Shri [Signature]  
 at Dehra Dun on 10/1/12  
 M. P. Singh - BHATIA  
 Advocate & Notary, Dehra Dun